मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल दिनांक 03/06/2017

क्रमांक 3728 एनआरईजीएस–म.प्र. / स्था. / एनआर–2 / 17

प्रति,

1.कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला / जिला पंचायत.................................समस्त।

विषयः– ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक।
सन्दर्भः–म.प्र.रा.रो.गा.परिषद का आदेश क्र. 5335 / एनआरईजीएस म.प्र. / स्था. / एनआर–2 / 12 दिनांक 02.06.2012

विषयानतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित दिशा–निर्देश प्रसारित किए गये है। इन दिशा निर्देशें की कंडिका क्र. 16 एवं 17 में क्रमशः संविदा सेवा समाप्ति एवं नियुक्ति व संविदा सेवा समाप्ति से व्यथित अभ्यर्थी के लिये उपचार के प्रावधान है। इन दिशा–निर्देशों मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. ग्राम रोजगार सहायक की संविदा अवधि पूर्ण होने के पूर्व कंडिका 16 में निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा समाप्त की जा सकेगी, एवं

2. कंडिका 17 के तहत नियुक्ति व सेवा समाप्ति से व्यथित अभ्यार्थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत को 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित अभ्यर्थी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर द्वितीय / अंतिम अपील आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को केवल तथ्यों के आधार पर की जा सकेगी, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य / बंधनकारी होगा तथा इस विवाद के निराकरण का क्षेत्राधिकार भोपाल होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जी.व्ही.रश्मि)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

भोपाल दिनांक 03/06/2017

क्रमांक 3739 एनआरईजीएस–म.प्र. / स्था. / एनआर–2 / 17

प्रतिलिपिः–
विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
1.प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पचांयत एवं ग्रामीण विकास।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय भोपाल।
3.आयुक्त, संभाग.................................समस्त।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद